न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा

उपस्थित– उमेश कुमार ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या – 869/26
81/26

अभिशेक कुमार — आवेदक

बनाम

बिहार राज्य — अभियोजन

नवादा थाना कांड संख्या–205/2026

अंतर्गत धारा – 190, 191(2) 191(3) 127(2) 115(2), 126(2), 109, 351(2) बी0एन0एस0 एवं 27 आयुध अधिनियम

दिनांक 20.04.2026

1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता
2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक

आवेदक/अभियुक्त अभिषेक कुमार की ओर से अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत यह आवेदन सूचक सोनु कुमार के लिखित शिकायत के आधार पर पंजीबद्ध नवादा थाना के अपराध क्रमांक 205/2026, धारा 190, 191(2) 191(3) 127(2) 115(2), 126(2), 109, 351(2) बी0एन0एस0 एवं 27 आयुध अधिनियम से उद्भूत अपराधिक प्रकरण में आवेदक के गिरफ्तारी के आशंका के आधार पर उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र व शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गयी और उभय पक्षों का तर्क श्रवण किया गया।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि सूचक नवादा थाना मे इस आषय की लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि सूचक अपनी भूमि पर मकान निर्माण का कार्य कर रहा था जिसका खाता संख्या–345, प्लॉट 1601 है जिससे क्षुब्ध होकर अभिषेक कुमार के द्वारा दिनांक 17.02.2026 को समय 10.25 बजे सुबह मे जान मारने की नियत से फायरिंग किया एवं उनके साथ आये लोगों के द्वारा गाली–गलौज एवं मारपीट किया गया जिनका नाम दीपक कुमार, राजबल्लभ कमार, राजीव कुमार, गौतम कुमार, रंजीत कुमार एवं अन्य लोगों के द्वारा लाठी, डंडा एवं खंती से हमला किया गया जिसका साक्ष्य पैन ड्राइव मे दे रहा हूँ। इस भूमि विवाद को लेकर अंचल कार्यालय, नवादा द्वारा नोटिस संख्या–10 से परिवाद निष्पादन हेतु दोनो पक्ष को नोटिस दिया गया था तथा दिनांक 28.01.2026 को परिवाद निष्पादन हेतु उपस्थिति का समय दिया गया था। सूचक उक्त तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा तथा दूसरा पक्ष साक्ष्य के अभाव मे उपस्थित नही हो सका। अंचल कार्यालय, नवादा द्वारा ज्ञापांक 291, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु नगर थाना, नवादा एवं अनुमंडल कार्यालय, नवादा को प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लिखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए यह तर्क किया गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध जो भी आरोप लगाया गया है वह गलत, झूठा एवं मनगढ़ंत है। जमानत आवेदन की कंडिका–3 के अनुसार आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नही है। यह काउंटर ब्लास्ट का मामला है। दोनो पक्ष आपस मे गोतिया है। इसी मामले के अन्य सह अभियुक्तों को पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानते हुए जमानत बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार एवं रजामंद है।

उपरोक्त आधारों पर बल देते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर इस अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्रकरण के जमानत आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा आवेदक के विरूद्ध धारा 190, 191(2) 191(3) 127(2) 115(2), 126(2), 109, 351(2) बी0एन0एस0 एवं 27

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा

उपस्थित– उमेश कुमार ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या – 869/26
81/26

अभिशेक कुमार — आवेदक

बनाम

बिहार राज्य — अभियोजन

नवादा थाना कांड संख्या–205/2026

अंतर्गत धारा – 190, 191(2) 191(3) 127(2) 115(2), 126(2), 109, 351(2) बी0एन0एस0 एवं 27 आयुध अधिनियम

दिनांक 20.04.2026

1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता
2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक

आयुध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आवेदक पर गोली फायर करने का आरोप है। जमीन विवाद को लेकर यह मामला उत्पन्न हुआ है। उभय पक्ष आपस मे गोतिया हैं। केस डायरी की कंडिका–33 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नही है। केस डायरी के साथ संलग्न आहत के जख्म प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अंकित है जिसके अनुसार आहत के शरीर पर चिकित्सक द्वारा कड़े एवं भोथरे पदार्थ से आयी हुयी साधारण प्रकृति की बतायी गयी है। सम्पूर्ण केस डायरी के अवलोकन से गोली का खोखा जप्त होने संबंधी किसी तरह का कोई तथ्य केस डायरी मे नही आया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन एवं केस डायरी मे आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को निम्न न्यायालय के समक्ष चार सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए इस जमानत आवेदन का निस्तारण **(Dispose off)** किया जाता है। आवेदक पुनः विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा विचारण न्यायालय इस आदेश से प्रभावित हुए बिना उक्त जमानत आवेदन पर अपने स्तर से विचार करते हुए उचित निर्णय लेंगे।

ह0/–
(उमेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
नवादा।